

इस पत्र का उत्तर मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय के पते पर भेजना चाहिए, किसी अधिकारी के नाम से नहीं। उत्तर देने समय इस पत्र की सं. और दिनांक की नकल भी देनी चाहिए।
Any reply to this letter should be addressed to Meghalaya & Ar. P. Geospatial Directorate, not to any officer by name. The No. & date of this letter should be quoted.

नेमी आदेश संख्या- //प्रशा./ 37-जी-10 दिनांक मार्च 2025
ROUTINE ORDER NO. 03 (ADM) / 37-G-9 DATED: 21 MARCH, 2025

1. एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति:

GRANT OF THIRD FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19-05-2009 और 35034/3/2015-स्था. (डी) दिनांक 22-10-2019 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सीडीएन दिनांक 08-06-2009) के अनुसार, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, शिलांग के कार्यालय अधीक्षक को उनके सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मैट्रिक्स/स्तर-7 (रु. 44,900 -1,42,400) में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

'The undermentioned Office Superintendent of Meghalaya & Ar. P. GD, Survey of India, Shillong is hereby granted 3rd Financial Upgradation under MACP Scheme for Central Govt. Employees in the Pay Matrix /Level -7(Rs. 44,900 -1,42,400) with effect from the date shown against them in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Dept. of Personnel & Training) O.M. Nos. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2009 & 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10-2019 (Department of Science & Technology letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009).

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 3rd Financial Up gradation is admissible
1.	Shri Bharat Kumar Rana	Office Superintendent	18-11-2023

उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नई वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ. आर.22 (1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(प्राधिकार /Authority:- SG's letter No. C.P.-583/1902-MACP (General) dated 04-05-2025)

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति:

GRANT OF FIRST FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19-05-2009 और 35034/3/2015-स्था. (डी) दिनांक 22-10-2019 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सीडीएन दिनांक 08-06-2009) के अनुसार, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, शिलांग के नीचे उल्लिखित ग्रुप 'सी' (एससीडी ग्रेड II) कर्मचारी को उनके सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मैट्रिक्स/स्तर-3 (रु. 21,700- 69,100) में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के अंतर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

Contd... 2/-

The under mentioned Group 'C' (SCD Grade II) staff of Meghalaya & Ar. P. GD, Survey of India, Shillong is hereby granted **1st Financial Upgradation under MACP Scheme for Central Govt. Employees in the Pay Matrix /Level-3 (Rs. 21,700- 69,100)** with effect from the date shown against them in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Dept. of Personnel & Training) O.M. Nos. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2009 & 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10--2019 (Department of Science & Technology letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009).

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 1 st Financial Upgradation is admissible
1.	Shri John Paul Lyngdoh	Staff Car Driver Grade II	01-09-2021

उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नई वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ. आर.22 (1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(प्राधिकार/Authority:- SG's letter No. C.P-666/1902-MACP (MTD) dated 12-03-2025)

3. एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति:

GRANT OF FIRST FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME:

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19-05-2009 और 35034/3/2015-स्था. (डी) दिनांक 22-10--2019 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सीडीएन दिनांक 08-06-2009) के अनुसार मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, शिलांग के नीचे उल्लिखित ग्रुप 'सी' (एमटीएस) कर्मचारी को उनके सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मैट्रिक्स/स्तर-2 (रु. 19,900-63,200) में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के अंतर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

The under mentioned Group 'C' (MTS) staff of Meghalaya & Ar. P. GD, Survey of India, Shillong is hereby granted **1st Financial Upgradation under MACP Scheme for Central Govt. Employees in the Pay Matrix /Level-2 (Rs. 19,900- 63,200)** with effect from the date shown against him in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Dept. of Personnel & Training) O.M. Nos. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2009 & 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10--2019 (Department of Science & Technology letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009).

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 1 st Financial Upgradation is admissible
1.	Shri PurbaDorje Lama	MTS	02-04-2024

उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नई वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ. आर.22 (1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(प्राधिकार/Authorities :- SG's letter No. C.P-596/1902-MACP (General) dated 04-05-2025 & Addl. S.G., E.Z.'s letter No. Adm-397/4-F (MACP) (M & ArP) dated 18-03-2025)

4. एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति:

GRANT OF THIRD FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME:

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19-05-2009 और 35034/3/2015-स्था. (डी) दिनांक 22-10-2019 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सीडीएन दिनांक 08-06-2009) के अनुसार मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, शिलांग के नीचे उल्लिखित ग्रुप 'सी' (एमटीएस) कर्मचारी को उनके सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मैट्रिक्स/स्तर-4 (रु. 25,500-81,100) में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

The under mentioned Group 'C' (MTS) staff of Meghalaya & Ar. P. GD, Survey of India, Shillong is hereby granted 3rd Financial Upgradation under MACP Scheme for Central Govt. Employees in the Pay Matrix /Level-4 (Rs. 25,500-81,100) with effect from the date shown against them in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Dept. of Personnel & Training) O.M. Nos. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2009 & 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10-2019 (Department of Science & Technology letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009).

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 3 rd Financial Upgradation is admissible
1.	Shri Kishan Singh	MTS	01-07-2024

उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नई वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ. आर.22 (1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(प्राधिकार/Authorities :- SG's letter No. C.P-596/1902-MACP (General) dated 04-05-2025 & Addl. S.G., E.Z.'s letter No. Adm-397/4-F (MACP) (M & ArP) dated 18-03-2025)



(राजीव कुमार श्रीवास्तव)
(RAJIV KUMAR SRIVASTAVA)

निदेशक/ Director,
मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जीडी/
Meghalaya & Arunachal Pradesh GD

प्रतिलिपि: Distribution:-

1. The Surveyor General of India, Dehra Dun for kind information please.
2. The Addl. S.G., Eastern Zone (EZ), Kolkata for kind information, please.
3. The Accounts Officer, RP&AO, Kokata for information and necessary action, please.
4. The Website In-charge, Survey of India website (Kaushal Kishore Shukla<adm.n.soi@gov.in>) with a request to publish on SOI website, please.
5. E.&A.O., Megh. & Ar. Pradesh GD for information and necessary action, please.
6. File: 37-G-9/14-A-1 (MACP)